निर्णय बइजलास श्री हिमांशु शर्मा आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा उद्घोषित

प्रकरण सं. 128/2019
दायरा दिनांक :- 3.10.19
निर्णय दिनांक :- 26.11.21

उनवान

1- महावीर पुत्र दीनदयाल जाति धाकड निवासी बामला तह. बारां
2. पवन पुत्र दीनदयाल जाति धाकड निवासी बामला तह बारां

बनाम

1- दीनदयाल पुत्र मांगीलाल जाति धाकड निवासी बामला तह. बारां
2. सरिता पत्नी राजेन्द्र पुत्री दीनदयाल जाति धाकड निवासी कनवास कोटा
3. शीलाबाई उर्फ सीताबाई पत्नी दीनदयाल जाति धाकड नि. बामला बारां
4. राज. सरकार जर्ये तहसीलदार बारां

वाद पत्र धारा 53, 88 RTA

निर्णय दिनांक :- 26.11.21

अभिभाषक वादीगण द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 RTA विरुद्ध प्रतिवादीगण के आधार पर इस आशय का पेश हुआ कि वादीगण के दादा श्री मांगीलाल पुत्र रोडूलाल धाकड के नाम सम्वत 2015-24 सेटलमेन्ट के अनुसार ग्राम वाके माल बामला मे आराजी ख.नं. 918 रकबा 1.19 बीघा, ख.नं. 919 रकबा 1.05 बीघा, ख.नं. 1065 रकबा 9 बिस्वा, ख.नं. 1101 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा, ख.नं. 1125 रकबा 48.12 बीघा, ख.नं. 1132 रकबा 11.01 बीघा, ख.नं. 1153 रकबा 35.01 बीघा कुल किता 7 रकबा 105.01 बीघा [illegible] रिकार्ड मे दर्ज थी मांगीलाल जी के जीवनकाल मे ही आरी भाई [illegible] उक्त मांगीलाल जी के खाते की आराजी का बंटवारा [illegible] सम्वत 2038-53 के सेटलमेन्ट से पूर्व राजस्व रिकार्ड [illegible] उनके नाम भी [illegible] की थी. दीनदयाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:41:21 IST
Reason: SelfAttested

लगातार - 2

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

प्रार्थी वादी सं. 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में मूल खसरा नम्बर 1286 रकबा 0.03 हे., ख.नं. 1287 रकबा 0.03 हे. भूमि, ख.नं. 1479/1622 रकबा 3.93 हे., ख.नं. 885 रकबा 0.32 हे. भूमि पुश्तैनी आराजी के रूप में दर्ज हुई है तथा ख.नं. 81 रकबा 0.29 हे. स्वयं प्रार्थी वादी सं. 1 दीनदयाल द्वारा उनके जीवन काल में क्रय की गई वादी गण प्रार्थी वादी सं. 1 व 3 के पुत्र तथा उक्त पुश्तैनी आराजी में वादी गण का बराबर हक एवं हिस्सा बनता है इसके अतिरिक्त प्रार्थी वादी सं. 1 दीनदयाल द्वारा ग्राम खैराती की भूमि जो शामलाती खाते दीनदयाल, देवीशंकर के नाम से आराजी ख.नं. 1207 रकबा 0.31 हे. ख.नं. 1208 रकबा 4.31 हे. वाके ग्राम खैराती में अवस्थित है, उक्त भूमि भी पुश्तैनी भी पुश्तैनी भूमि है जो मांगीलाल जी की मां के द्वारा अपने पोतों को दी गई थी। प्रार्थी वादी सं. 3 शीला बाई जो वादी गण की माता है उनके नाम भी ग्राम बामला में 15 बीघा भूमि स्थित है जो उनके पति दीनदयाल द्वारा उनके जीवनकाल में क्रय कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाई है इस प्रकार प्रार्थी वादी सं. 1 व 3 के नाम अपने भरण-पोषण व जीवन यापन के लिए 15-15 बीघा भूमि पृथक से दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी गण के पिता दीनदयाल के खाते में दर्ज आराजी के पुश्तैनी आराजी होने के कारण वादी गण का पैदाईशी हक एवं अधिकार निहित है तथा वादीगण अपने हक हिस्से की आराजी को अपने पिता के जीवनकाल में ही बटवारा कर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करा पाने के वैधानिक अधिकारी है प्रार्थी वादी सं. 1 ने उनके खाते में दर्ज ग्राम वाके ग्राम बामला की आराजी में से ख.नं. 1479/1622 रकबा 3.93 हे. को दो भागों में विभाजित कर एक भाग उत्तरी ओर का पूर्वी-पश्चिमी भाग वादी सं. 1 को तथा दक्षिणी ओर का पूर्वी-पश्चिमी भाग वादी सं. 2 को बाहमी एवं पारिवारिक बटवारे से तथा आराजी ख.नं. 81 रकबा 0.29 हे. वादी सं. 2 को व ख.नं. 885 रकबा 0.32 हे. वादी सं. 1 को कब्जे काश्त करने हेतु दे रखा है अपने जीवन काल में ही प्रार्थी वादी सं. 1 ने उनको खातेदारी अधिकार स्वयं की ओर से दे दिये है परन्तु वैधानिक रूप से बटवारे के अभाव में [illegible] प्रार्थी वादी सं. 1 का नाम दर्ज चला रहा है उक्त वादी [illegible] जीवनकाल में अपने पैदाईशी हक के अनुसार उक्त प्रार्थी [illegible] विभाजन अनुसार अपने हक अधिकारों की घोषणा कराने के वादीगण वैधानिक अधिकारी है। ——

लगातार - 3

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:41:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

उक्त प्रार्थी वादी क्र० 2 पवन पिता के खाते उक्त वाके उक्त बामला में दर्ज आराजी में कोई हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा पारिवारिक व्यवहार से वह भी सहमत है परन्तु उसे उक्त वाद में हीलहवाल की भी आदत वादिया होने से एवं प्रार्थी वादी क्रम 3 के विरुद्ध किसी प्रकार की सहायता नहीं चाही गई परन्तु हीलहवाल की पत्नी व वादीगण की माता होने के कारण पक्षकार बनाया गया है वाद कारण पारिवारिक व्यवहार के अनुसार खाते का विभाजन भी न करने तथा बावजूद नोटिस पालना न करने के कारण वाद कारण दिनांक 23.9.19 को उत्पन्न हुआ जो आज भी उत्पन्न हो रहा है। वादी स्वत वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रार्थी वादी गण को जरिये समन तलब किया गया। प्रार्थी वादी गण की ओर से इकबाली जवाब पेश किया गया। वादी स्वत अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी उक्त बामला सम्वत 2072-75 खाता नं. 165, नकल खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2015-2024, नकल मिसल हकीयत सम्वत 2038-57, नकल जमाबन्दी उक्त बामला सम्वत 2072-75 खाता नं. 317, नकल जमाबन्दी उक्त बामला सम्वत 2072-75 खाता नं. 364 खाता नकल जमाबन्दी उक्त बामला सम्वत 2072-75 खाता नं. 74, पेश किया गया।

पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया गया कि उक्त अदालती प्रकरण न्यायालय श्रीमान के विचाराधीन है जिसमें आज साक्ष्य वादी हेतु तारीख पेशी नियत है उक्त प्रकरण में वादीगण एवं प्रार्थी वादी गण के मध्य आपसी समझाईश एवं लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है तथा उक्त प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते है राजीनामा अनुसार प्रार्थी वादी क्र० 1 ने उनके खाते में दर्ज उक्त वाके मौजा बामला की आराजी में से ख०नं० 1479/1622 रकबा 3.93 हे. को दो भागों में विभाजित कर एक भाग उत्तरी ओर का पूर्वी पश्चिमी भाग वादी क्र. 2 पवन को तथा आराजी ख०नं० 81 रकबा 0.29 हे. वादी पवन को एवं ख०नं० 885 रकबा 0.32 हे. वादी महावीर के खाते दर्ज करने में प्रार्थी वादी को कोई आपत्ति नहीं है। पक्षकारान द्वारा राजीनामा अनुसार निर्णय करने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:41:21 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत [illegible] वाद पत्र व राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत [illegible] राजस्व रिकार्ड के अनुसार विवादित आराजी मांगीलाल पुत्र रोडूलाल के खातेदारी में दर्ज थी उसके मरने

लगातार 4

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

के बाद प्रार्थी क्र. हीरालाल के स्वीकृति के दर्ज होने इसलिए पर स्वीकार
देता है कि विवादित अराजी पैतृक अराजी है विभाजित करी आवेदन
प्राप्त करने के अधिकारी है। इसलिए राजीनामा बाद का स्वीकार
किया जाना न्यायोचित है।

निर्णयात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी तथा एक बाद प्रतिवादी राजीनामा
स्वीकार किया जाता है विवादित अराजी स्थित ग्राम तह. बारां खसरा
नं. 1479/1622 रकबा 3.93 हे. में से 1/2 भाग दाहिनी ओर व ख.नं. 88 रकबा
0.32 हे. वादी क्र. 1 के नाम तथा अराजी ख.नं. 1479/1622 रकबा 3.93
हे में से 1/2 हिस्सा उत्तरी ओर तथा व ख.नं. 81 रकबा 0.29 हे. वादी क्र. 2
को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तथा प्रति वादी क्र. 1 का नाम
खाते से खारिज किया जाता है उपरानुसार पृथक-पृथक विभाजन कर राजस्व
रिकार्ड में अमल दरामद कर लगान निर्धारण करने हेतु तहसीलदार बारां
को आदेशित किया जाता है तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर हस्ताक्षर किया गया।

(दिनेश शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
बारां
उपखण्ड अधिकारी बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:41:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

...ालय उपखण्ड अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला-बारां (राज.)

डिक्री

वाद संख्या 128/19	धारा अंतर्गत 53, 88 RTA	निर्णय दिनांक 26.11.21
समक्ष - श्री प्रियांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी बारां		
उपस्थिति - अभिभाषक वादी श्री नरेन्द्र कुमार नामानी		अभिभाषक प्रतिवादी

वाद शीर्षक

1. महावीर पुत्र दीनदयाल जाति धाकड़ निवासी बामला तह. बारां
2. पवन पुत्र दीनदयाल जाति धाकड़ निवासी बामला तह. बारां

बनाम

1. दीनदयाल पुत्र मांगीलाल जाति धाकड़ निवासी बामला तह. बारां
2. सरिता पत्नी राजेन्द्र पुत्री दीनदयाल जाति धाकड़ निवासी कनवास कोटा
3. शीलाबाई उर्फ सीताबाई पत्नी दीनदयाल जाति धाकड़ निवासी बामला बारां
4. राज. सरकार जरिये तहसीलदार बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिकी निर्गत की जाती है कि

वादीगण का वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम बामला तह. बारां के ख.नं. 1479/1622 रकबा 3.93 हे. में से 1/2 भाग दक्षिणी ओर व ख.नं. 885 रकबा 0.32 हे. वादी क्र. 1 के नाम तथा आराजी ख.नं. 1479/1622 रकबा 3.93 हे. में से 1/2 भाग उत्तरी ओर का व ख.नं. 81 रकबा 0.29 हे. वादी क्र. 2 को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तथा उक्त वादी क्र. 1 का नाम आगे से घोषित किया जाता है। इन्द्राजात पृथक-पृथक खातेदारी कर राजस्व रिकार्ड में नामांतरकरण कर लगान निर्धारण करने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 26.11.21 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी बारां

हस्ताक्षर

उपखण्ड अधिकारी, बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:41:21 IST
Reason: SelfAttested

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद		प्रतिवादी
1	वाद पत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6	व्यय साक्षी		
7	फीस कमिश्नर		

Scanned with CamScanner